

राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ उ0प्र0-243601

पत्र सं0-1866/रा0मे0का0ब0/2025

दिनांक:- 21/02/25

राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ उ0प्र0 में संविदा के आधार पर आचार्य, सह-आचार्य, सहा0 आचार्य के पदों पर सेवायोजन हेतु पुर्नविज्ञप्ति:-

अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्र संख्या-2288/रा0मे0का0ब0/2023 दिनांक-27.09.2022 के माध्यम से मार्च, 2023 तक प्रत्येक मंगलवार एवं पत्र संख्या-92/रा0मे0का0ब0/2023 दिनांक-27.04.2023 के द्वारा दिनांक-30 अप्रैल, 2024 तक प्रत्येक मंगलवार एवं 409/रा0मे0का0ब0/2024 दिनांक-07.06.2024 के द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम में माह-अप्रैल, 2025 तक प्रत्येक मंगलवार को इस चिकित्सा महाविद्यालय के विभिन्न विशिष्टताओं में आचार्य, सह-आचार्य एवं सहायक-आचार्य के पदों पर संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु आवेदन पत्र आमत्रित किये गये थे परन्तु निम्नलिखित तालिकानुसार इन विषयों में उस वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हुए एवं अन्य विषयों में भी पद रिक्त होने के कारण उक्त विज्ञप्ति में संशोधन करते हुए प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-148/71-1-24/71-1001/804/2020 दिनांक-14 जून, 2024 के अनुसार एन0एम0सी0 मानकों के अनुरूप चिकित्सा शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु वाक-इन-इन्टरव्यू (Walk-in-Interview) के माध्यम से कालेज स्तर से चयन की कार्यवाही माह-31 दिसम्बर, 2025 तक प्रत्येक शुक्रवार को कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ में सम्पन्न की जायेगी। साक्षात्कार के समय अपने समस्त सम्बन्धित मूल अभिलेखों व एक सेट अभिलेखों (शैक्षिक/जाति/अनुभव प्रमाण-पत्रों/शोध पत्र) की स्वप्रमाणित छायाप्रति एवं 02 फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड के साथ माह 31 दिसम्बर, 2025 तक प्रत्येक (शुक्रवार) को प्रधानाचार्य कार्यालय, मेडिकल कालेज, बदायूँ में समय प्रातः 10:00 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें। पदों की अद्यतन स्थिति निम्नवत् है-

राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ में संविदा पर चयन हेतु 100 रोस्ट प्वाइंट के अनुसार रिक्त पदों की स्थिति

क्र	विशिष्टता का नाम	आचार्य	सह-आचार्य	सहा0आचार्य
1.	अस्थि रोग			01 (SC)
2.	स्त्री एवं प्रसूति रोग	01 (SC)	0	01 (SC)
क-	एन्टीनेटल मेडिकल ऑफिसर कम सहायक-आचार्य	0	01 (UR)	01 (OBC)
ख-	मैटरनिटी चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर कम सहायक आचार्य	0	0	01 (UR)
3.	इम्यूनो हिमेटोलॉजी एण्ड ब्लड-ट्रान्सपयूजन	0	0	01 (OBC)
4.	एनॉटमी विभाग	0	01 (SC)	0
5.	कम्यूनिटी मेडिसिन	0	0	0
क.	स्टे-टैशियन कम सहायक-आचार्य	0	01 (UR), 01 (OBC)	0
ख.	यू0एच0टी0सी0	0	0	01 (SC)
ग.	आर0एच0टी0सी0	0	0	0
6.	सामान्य मेडिसिन	0	0	01 (OBC)
7.	सामान्य सर्जरी	01 (UR)	01 (UR), 02 (OBC)	01 (UR), 01 (OBC), 01 (SC), 01 (EWS)
8.	बाल रोग विभाग	01 (OBC)	01 (UR)	01 (OBC), 01 (SC), 01 (EWS)
9.	पैथोलॉजी	01 (UR)	01 (OBC)	01 (SC), 01 (ST)
10.	फार्माकोलॉजी	01 (OBC)	0	0
11.	फिजियोलॉजी	01 (EWS)	01 (UR)	0
12.	फोरेन्सिक मेडिसिन	01 (SC)	0	0
13.	बायोकेमिस्ट्री विभाग	01 (UR)	0	01 (SC)
14.	माइक्रोबायोलॉजी विभाग	01 (OBC)	0	01 (OBC)
15.	रेडियोडायग्नोसिस	01 (UR)	0	01 (OBC)
16.	एनेस्थिसिया	01 (SC)	01 (EWS)	0
17.	टी0बी0 चैस्ट	01 (UR)	01 (UR), 01 (SC)	03 (UR), 01 (OBC), 01 (SC)
18.	दन्तरोग	0	01 (OBC)	0
19.	नेत्र रोग विभाग	0	0	0
20.	ओटो राइनो लैरिंगोलॉजी (ई0एन0टी0)	01 (OBC)	01 (UR), 01 (SC)	0
21.	चर्म रोग	01 (EWS)	01 (UR)	0
22.	मानसिक रोग विभाग	0	01 (OBC)	0
23.	इमरजेन्सी मेडिसिन	0	0	0
24.	फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैबिलेशन	01 (SC)	01 (UR)	01 (OBC)
25.	रेडियोथैरपी	0	0	03 (UR), 01 (OBC)
	कुल योग	0	01 (SC)	01 (EWS)
		15	20	01 (UR)

नोट:-शासन द्वारा जारी आरक्षण रोस्टर के आधार पर ही चयन की प्रक्रिया की जायेगी एवं पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

संविदा की शर्तें निम्नवत् हैं:-

1. संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यों का नियत वेतन रू0 2,20,000/- (मेडिकल कालेज से सेवानिवृत्त आचार्य को शासनादेश संख्या-250/2018/4067/71-1-2017-जी0-63/2008 द्वारा निर्गत शर्तोंअ अनुसार वेतन रू0 2,20,000/- प्रतिमाह हैं। सह-आचार्यों का नियत वेतन रू0 1,60,000/- तथा सहायक आचार्यों, का वेतन रू0-1,20,000/- प्रतिमाह हैं। इस हेतु आवेदक को द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हतायें एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
2. चिकित्सा शिक्षकों के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु सहायक-आचार्य-60 वर्ष, सह-आचार्य-64 वर्ष, आचार्य-68 वर्ष आयु सीमा के अभ्यर्थी अभ्यर्थन कर सकते हैं।
3. संविदा पर नियुक्ति चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध होने/महानिदेशालय से सेवा बाण्ड के आधार पर चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर (Last Come First Go) के आधार पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं संतोषजनक सेवा न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी सेवा समाप्त की जा सकती है। संविदा छोड़ने की स्थिति में 01 माह पूर्व नोटिस न देने की स्थिति में 01 माह का वेतन/मानदेय जमा कराना होगा।
4. चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव उ0प्र0 राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली (द्वितीय संशोधन) नियामावली, 2005 में निहित के अनुसार होगी।
5. ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
6. प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने का स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
7. कोई भी चिकित्सा शिक्षकों को प्राइवेट में देखने के लिये वाध्य नहीं करेगा।
8. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
9. उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन /भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।
10. ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष का होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी /नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के आधार पर सेवाकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
11. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालवधि के लिए किसी भी प्रकार के पेंशन संबंधी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे ऐसे कालावधि के लिए बोनस देय नहीं होगा।
12. चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
13. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसे करार या अनुबन्ध पत्र में विनिर्दिष्ट की जाये। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षक द्वारा अनुबन्ध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमितीयकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियम नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमान्य होगी।
14. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके विरुद्ध मा0 न्यायालय कोई अपराधिक वाद प्रचलित नहीं हैं और यदि उनके विरुद्ध प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
15. उक्त संविदा पदों की चयन प्रक्रिया समिति की संस्तुति के आधार पर प्रधानाचार्य के माध्यम से की जानी है। अन्तिम चयन की प्रक्रिया प्रधानाचार्य में ही निहित होगी।
16. अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र (OBC) दिनांक-01.04.2024 के पश्चात् का की मान्य होगा।
17. आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मान्य होगा।
18. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों का स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा।

नोट- पदों की अद्यतन स्थिति एवं समस्त विवरण www.updgm.in एवं www.gmcubudaunup.com पर उपलब्ध हैं।

प्रधानाचार्य,
राजकीय मेडिकल कालेज,
बदायूँ।

पत्रांक सं०-

/रा०मे०का०ब०/२०२५

तददिनांक:-

प्रतिलिपि -

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-१ उ०प्र० शासन लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को महानिदेशालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने की कृपा करें।
3. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, सूचना भवन, पार्क रोड, लखनऊ।
5. प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ।
6. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बदायूँ।
7. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज कानपुर /मेरठ/आगरा/झांसी/गोरखपुर/इलाहाबाद/अम्बेडकर नगर/कन्नौज/जालौन/आजमगढ़/सहारनपुर/बांदा।
8. प्रधानाचार्य, समस्त स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, उ०प्र०।
9. रजिस्ट्रार, के०जी०एम०यू०, लखनऊ एवं यू०पी० इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस सैफई इटावा उ०प्र० को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कालेज, के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कराने की कृपा करें।
10. प्रधानाचार्य, जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज, अलीगढ़ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कालेज, के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कराने की कृपा करें।
11. निदेशक, इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, बी०एच०यू०, वाराणसी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कालेज, के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कराने की कृपा करें।
12. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को कालेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें।
13. राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ के नोटिस बोर्ड/सूचना पट्ट हेतु।

प्रधानाचार्य,
राजकीय मेडिकल कालेज,
बदायूँ।